"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2003—श्रावण 6, शक 1925

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2003

अधिसूचना

क्रमांक 254/एल-1/2/2003/ब-4/चार-I.—छत्तीसगढ़ शासन 6.20 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2013 दस वर्ष की अवधि के लिए प्रचलित करने हेतु अधिसूचना जारी करता है.

ऋण का उद्देश्य :

1. (एक) ऋण की आवश्यकता विकास योजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए है.

   (दो) इस ऋण के प्रचलन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के द्वारा अपेक्षित है, प्राप्त कर ली गई है.

विवरण :

2. अभिदान हेतु प्रस्तुत ऋण 6.20 छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण, 2013 कहलायेगा.

जारी करने की रीति :

3. (एक) भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर तथा मुम्बई लोक ऋण कार्यालय के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऋण विक्रय किया जावेगा.

(दो) दिनांक 30 जुलाई, 2003 से बैंकिंग घण्टों के दौरान विक्रय टेप पर होगा. भारतीय रिजर्व बैंक को 30 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् बैंकिंग घण्टों के दौरान किसी भी समय या उसके बन्द होने के दौरान विक्रय बन्द करने का अधिकार है, यदि वह छत्तीसगढ़ सरकार की उधार लेने की आवश्यकता तथा समय पूर्व में प्राप्त अभिदायों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन या आवश्यक समझें.

(तीन) भारतीय रिजर्व बैंक बन्द होने के किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्व-विवेक से किसी या समस्त आवेदनों को, यदि वह उचित समझे, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा.

(चार) यदि अति अभिदाय या अतिरिक्त अभिदाय के कारण आंशिक आवंटन किया जाना अपेक्षित हो तो भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित अभिदायकर्त्ताओं को अपने-अपने अभिदाय यथासम्भवशीघ्र, वापस करेगा और इस प्रकार किए जाने वाले प्रतिदाय पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा.

ब्याज की दर :

4. दिनांक 30 जुलाई, 2003 से ऋण पर 6.20 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा. प्रत्येक वर्ष की 30 जनवरी तथा 30 जुलाई को अर्धवार्षिक ब्याज चुकाया जाएगा.

आवेदन-पत्र :

5. (एक) ''छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऋण'' क्रय के लिए आवेदन हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विहित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. यह आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय, लोक ऋण कार्यालय नागपुर तथा मुम्बई से अभिप्राप्त किया जाएगा.

(दो) भारतीय रिजर्व बैंक को देय केश या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स पे आर्डर ड्रॉन के साथ सम्यक् रूप से आवेदन-पत्र भरकर अनुबन्ध की गई शर्तों तथा ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों, जैसी कि विहित किए गए आवेदन के प्रारूप में सम्मिलित है, के अध्यधीन रहते हुए ऊपर विनिर्दिष्ट दिन को बैंकिंग घण्टों के दौरान संबंधित कार्यालय में उस पर प्रस्तुत किया जाए जहां आवेदन के लिए निविदा की गई है.

प्रचलन का मूल्य :

6. ''6.20 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2013'' रुपये 100 के सम-मूल्य पर जारी किये जायेंगे.

कार्यकाल का प्रारंभ :

7. ऋण का कार्यकाल 30 जुलाई, 2003 से प्रारंभ होगा.

चुकारे की तिथि :

8. ऋण का चुकारा सम-मूल्य पर दिनांक 30 जुलाई, 2013 को किया जाएगा.

अन्य निबन्धन तथा शर्तें :

9. अन्य निबंधन तथा शर्तें वही रहेंगी जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 34/बी-4/एफ. आई. एन./2001 दिनांक 25 जनवरी, 2001 के प्रावधानों में निहित है.

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

DEPARTMENT OF FINANCE

Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

Raipur, the 25th July 2003

NOTIFICATION

No. 254/L-1/2/2003/B-4/IV-I.—Government of Chhattisgarh hereby notice the issue of 6.20 percent Chhattisgarh State Development Loan; 2013 of ten year tenure.

Object of the Loan :

1. (i) The Loan is required for Financing Development Schemes.

(ii) The consent of Central Government has been obtained to the floatation of this Loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Nomenclature :

2. The Loan offered for subscription is 6.20 percent Chhattisgarh State Development Loan; 2013.

Method of Issue :

3. (i) The Chhattisgarh State Government Loan will be sold through Reserve Bank of India, public debt office Nagpur and Mumbai.

(ii) The sale will be on tap during banking hours from July 30, 2003. Reserve Bank of India reserves the right to close the sale at any time during or after the close of banking hours on or after July 30, 2003, if it deems it appropriate and necessary to do so having regard to the borrowing requirement of Government of Chhattisgarh and subscriptions already received at that time.

(iii) Reserve Bank of India will have the discretion to accept or reject any or all applications either wholly or partially if it deems if appropriate to do so, without assigning any reason at the time of closure of sale.

(iv) If partial allotment is required to be made due to over subscription, excess subscription will be refunded by the Reserve Bank of India to the respective subscribers as soon as possible and no interest will be paid on the amount so refunded.

Rate of Interest :

4. The Loan will bear interest of 6.20 percent per annum from July 30, 2003. The interest will be paid half-yearly on January, 30 and July, 30 each year.

Application Form :

5. (i) Application for purchase of Chhattisgarh State Government Loan should be submitted by interested persons in the prescribed form of application that may be obtained from the Public Debt Office of the Reserve Bank of India, Public Debt Office, Nagpur and Mumbai.

(ii) The Application Form, duly filled in, together with payment therefore in Cash or by Demand Draft/Banker's Pay Order drawn payable to Reserve Bank of India, at the place where the application

is tendered should be submitted to the concerned office during the banking hours on the days specified above subject to the conditions as stipulated and also by the terms and conditions as included in the prescribed form of application. The payment will include accrued interest on the nominal value of loan applied for from the date of commencement of tenure of the loan.

Issue Price :

6. "6.20 percent Chhattisgarh State Development Loan, 2013" will be issued at par i. e., Rs. 100.

Commencement of the Tenure :

7. The tenure of the loan will commence from July 30, 2003.

Date of Repayment :

8. The Loan will be repaid at par on July 30, 2013 at the Public Debt Office of the Reserve Bank of India at which they are registered.

Other Terms and Conditions :

9. The other terms and conditions will be as per the provisions contained in the General Notification of Government of Chhattisgarh bearing No. 34/B-4/FIN/2001 dated 25 January, 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.